

राजस्थान सरकार
निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : 1169/राजपत्रित/पीजी/2017/

क्रमांक : 6/211

— : आदेश : —

राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.13(1)चिस्वा/2/2014 दिनांक 04.01.2014 के अनुसार में निम्नांकित चिकित्सकों को उनके नामों के सम्मुख दिनांक तिथि के अनुसार आवक द्वारा अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

मेडिकल कॉलेज, उदयपुर

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	पीजी में अध्ययनरत विभाग	अवकाश की अवधि
1.	डॉ. सुतोष गुर्जर	स्त्री एवं प्रसूति रोग	से 02.06.19
2.	डॉ. दिपिका जैन	स्त्री एवं प्रसूति रोग	से 02.06.19
3.	डॉ. सुति चारण	ट्रांसफयुजन मेडिसिन	से 25.05.20
4.	डॉ. अकेश कुमार सोनी	जनरल मेडिसिन	से 25.05.20
5.	डॉ. विनेन्द्र कुमार शर्मा	जनरल मेडिसिन	से 26.05.20
6.	डॉ. शशीष खण्डेलवाल	जनरल मेडिसिन	से 26.05.20
7.	डॉ. नृज दवे	एनेस्थेसिया	से 26.05.20
8.	डॉ. अकेश कुमार बंसल	एनेस्थेसिया	से 01.06.19
9.	डॉ. इहमद इरशाद शैख	एनेस्थेसिया	से 26.05.20
10.	डॉ. अजय कुमार जैन	एनेस्थेसिया	से 25.05.20
11.	डॉ. जना वीरवाल	एनेस्थेसिया	से 26.05.20
12.	डॉ. अपक शर्मा	चर्म रोग	से 26.05.20
13.	डॉ. विनाश	एनेस्थेसिया	से 01.06.20
14.	डॉ. विनेता चौधरी	नैत्र रोग	से 26.05.20
15.	डॉ. अकर लाल कुमावत	रेडियोडायग्नोसिस	से 26.05.20

अध्ययन अवकाश उन्ही चिकित्सकों हेतु मान्य होगा जो राजस्थान सरकार के तहत हुआ है तथा जिन्होंने पूर्व में सेवारत पी.जी. कोर्स का लाभ (अध्ययन अवकाश) नहीं लिया है। राजस्थान से 121ए के अन्तर्गत 100/- रु. के नॉन-ज्यूडिशियल स्ट्राम्प पर पब्लिक से स्थापित किये हुये चिकित्सकों से प्राप्त होने के पश्चात भुगतान किया जावे, चिकित्सकों के मूल बंध-पत्र प्राप्त कर मूल प्रभिजवा

ज पी.जी. में के तहत पी.जी. के नियम -पत्र नोटेरी चिकित्सको को निदेशालय को

निदेशक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) राजस्थान

जयपुर

क्रमांक : ई/राजपत्रित/पीजी/2017/ 11.69
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक : 6/7/17

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प 13(1)चिस्वा/2/2014 दिनांक 24.01.2014 के क्रम में ।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विभाग विश्वविद्यालय, जयपुर ।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर राजस्थान को भेजकर लेख है कि राजस्थान सेवा नियम के नियम 121ए के अन्तर्गत बंध-पत्र चिकित्सको से प्राप्त होने के पश्चात ही चिकित्सको को भुगतान किया जावे, तथा मूल प्रति निदेशालय को भिजवावें।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान ।
7. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान ।
8. प्रभारी, सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि आज ही विभाग की वेबसाईट पर डालने का श्रम करें ।
9. सम्बन्धित डीए को चिकित्सा अधिकारी की पत्रावली हेतु।
10. रक्षित पत्रावली ।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।